न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री मांगीलाल रेगर , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–138 / 2017 प्रा0प0

दिनांक 16–04–2018

अनवान

श्री केसर खां

..... प्रार्थी / प्रतिवादी

।। बनाम ।।

श्री इमाम बक्ष आदि

.....विपक्षी / वादी

प्रकरण संख्या 200 / 2010
तारीख पेशी 08–7–2011

प्रार्थना पत्र धारा 144 जा0दी0

उपस्थित– श्री योगेन्द्र सोंलकी वकील वादी / प्रार्थी
श्री सुरेन्द्रकुमार ओझा वकील विपक्षी / प्रतिवादीगण

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धवारा 144 जा0दी0 के तहत निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी महोदय निम्बाहेडा के न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ था जिसका प्रकरण संख्या 56 / 89 ई0रे0 था जो कि दिनांक 26–5–1999 को डिक्री किया गया था ।

2. यह कि प्रकरण संख्या 56 / 89 आदेश निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के विरूद्व अपील श्री राजस्व अपील अधिकारी महोदय चित्तौडगढ के न्यायालय में अपील संख्या 61 / 99 अपील डिक्री प्रतिवादीगणों ने प्रस्तुत की जो कि दिनांक 29–2–2000 को निरस्त कर दी गई ।

3. यह कि प्रतिवादीगणों ने राजस्व अपील अधिकारी महोदय चित्तौडगढ के आदेश निर्णय डिक्री खारीज अपील की डिक्री अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में इदीबाई आदि बनाम केशर खां आदि के नाम से पेश की गई जिसकी अपील संख्या अपील डिक्री 50 / 2000 है ।

4. यह कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील संख्या 5 सन् 2000 दिनांक 09–12.03 को अपील अपीलान्ट प्रतिवादीगण स्वीकार की गई एवं उप जिलाधीश महोदय निम्बाहेडा का निर्णय एवं

16.4.18
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.15 16:44:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

डिक्री दिनांक 26–5–99 को निरस्त कर दिया तथा आदेश व निर्णय अपील अधिकारी महोदय दिनांक 29–2–2000 को निरस्त कर दी है एवं प्रकरण साक्ष्य लेकर निर्णीत करने हेतु एस0डीआ0 कोर्ट निम्बाहेडा को रिमाण्ड (प्रतिप्रेषित) कर दिया ।

5. यह कि दिनांक 26–5–99 की डिक्री निरस्त हो चुकी है तथा प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

6. यह कि दिनांक 26–5–99 के बाद अपीलेट कोर्ट में अपील जैरकार होते हुए वादीगणों ने डिक्री की पालना कर नामान्तरकरण अपन नाम खुलवा लिया एवं भूमि अन्तरित कर दी ।

7. यह कि अभी वर्तमान में डिक्री व निर्णचय दिनांक 26–5–99 अस्तित्व में नहीं है ।

8. यह कि वादीगणों ने दौराने अपील डिक्री निष्पादन कराया तथा रिकार्ड में परिवर्तन हुआ वह डिक्री है ही नहीं तथा प्रकरण जैरकार है इसलिये प्रार्थी रेवेन्यू रिकार्ड में दावें की स्थिति डायरी दावे के समय पुनः करवाने के अधिकारी है एवं जो ना0क0 हस्तान्तरण दौराने दावे हुआ व सबज्यूरिस भी है धारा 144 जा0दी0 तथा प्रतिवादीगण पुनः रेवेन्यू रिकार्ड की स्थिति डायरी दावा अनुसार प्रतिवादी ईमाम बक्ष के नाम की खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है तथा जो अवैध हस्तान्तरित पक्षकार बने है उनकों भी रिकार्ड से हटवाने के अधिकारी हैं ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दरख्वास्त हाजा प्रतिवादीगण बाबत दावे की दिन का रेवेन्यू रिकार्ड विवादित आराजी प्रतिवादी ईमाम बक्ष क नाम जरिये रेस्ट्रीड्यूशन पुनः दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा दौराने दावा अपील व नामान्तरकरण खुले है उनको निरस्त कराने के अधिकारी है एवं जो नामान्तरकरण एवं अवैध हस्तान्तरण दौराने दावे के आधार पर पक्षकार बने है उनके नाम प्रस्तुत वाद से हटवाने के अधिकारी है ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी/वादी को तलब किया गया । बरोज पेशी विपक्षी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 1 क़ा उत्तर यह है कि माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय निम्बाहकेडा द्वारा प्रकरण संख्या 56/89 ई0रे0 डिक्री करना स्वीकार है ।

2. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 2 का उत्तर यह है कि निर्णय व डिक्री कि विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौडगढ में अपील प्रतिवादीगण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत करना स्वीकार है । अपील अपील न्यायालय द्वारा निरस्त की गई ।

3. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 3 का उत्तर यह है कि प्रतिवादीगण प्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौडगढ के निर्णय के विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की है और उसकी सुनवाई राजस्व मण्डल अजमेर ने की है ।

4. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 4 का उत्तर यह है कि राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसा यह पत्रावली माननीय न्यायालय के यहां सुनवाई में चल रही है जिसमे दिनांक 20.7.2012 क तारीख पेशी सुनवाई हेतु नियत है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.15 16:44:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

5. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 5 का उत्तर यह है कि विवादित भूमि के बाबत राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार पत्रावली इस न्यायालय में जेरकार है

6. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 6 का उत्तर यह है कि वादीगण ने अपील न्यायालय में अपील विचाराधीन होते हुए भी निर्णय व डिक्री की पालना करा दी है यह कथन स्वीकार नहीं क्यूकिं इस संबंध में प्रार्थीगण ने विशेष कथन अंकित नहीं किये है इसलिए जवाब दिया जाना संभव नहीं है ।

7. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 7 का उत्तर यह है कि प्रकरण माननीय न्यायालय में राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार जैरकार है ।

8. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 8 का उत्तर यह है कि इस चरण में प्रार्थीगण ने जो तथ्य अंकित किये है वह अस्वीकार है जो हस्तान्तरण दौराने दावा हुए है वह मूल न्यायालय के निर्णय के अधीन हे । अतः प्रार्थीगण राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिवर्तन कराने के अधिकारी नहीं है ।

9. यह कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 9 कानूनी होने से जवाब की जरूरत नहीं है ।

अतः जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा ारीज किया जावे । वादीगण भगवानलाल व मदनलाल इस प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार क्षकार बने है और माननीय न्यायालय क आदेश के विरूद्व किसी प्रकार की कोई चारागोई किसी ने नही की ऐसी स्थिति में भगवानलाल व मदनलाल का नामा प्रार्थीगण इस दावे डिलीट कराने के अधिकारी नहीं है ।

विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । न्यायालय विपक्षी/वादी के जवाब से हमत है तथा न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थी/विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज, पीलीय न्यायालयों द्वारा पारीत निर्णय की सत्यापित प्रतियां, प्रस्तुत नहीं की गई है न ही प्रार्थना में में यह र्णित किया गया कि किस आदेश की पालना किय ईजराय से कौनसा नामान्तरकरण निर्णीत किया गया है त्पश्चात् कालान्तर में किए गए विक्रय से जो नामान्तरण खोले गये वे अवैधानिक हो । न्यायालय आदेशों के वेपरीत राजस्व रेकार्ड कोई उलटाव अथवा फेरफार किया जाना प्रमाणित नहीं होता है । यदि विक्रय से नामान्तरण खोले गये है तो अवैधानिक रूप से पंजिकृत दस्तावेजों को निरस्त करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है । चूंकि वाद जैरकार होकर सुनवाई में नियत है जिसका निर्णय साक्ष्य सबूतों के आधार पर किया जाना संभव होगा हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 144 के प्रावधानों को कवर नहीं करता है । अतः प्रार्थी/विपक्षी का प्रार्थना पत्र धारा 144 सारहीन पाये जाने से खारीज किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया

16.4.18

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.15 16:44:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner